

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नं०-5 लखीमपुर-खीरी।

कमलेश बनाम अंकित आ०

परिवाद सं-

थाना -कोतवाली सदर जिला खीरी

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गयी कोई भी पक्षकार उपस्थित नहीं। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता अनुपस्थित। कोई स्थगन प्रार्थना पत्र कोई हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से विदित हुआ कि पत्रावली वास्ते बयान धारा 200 सी०आर०पी०सी अंकित करने हेतु दिनांक 12-06-2019 से नियत चली आ रही है। पक्षकारों को पूर्व में कई बार अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवाद पर बल देने हेतु आज भी कोई उपस्थित नहीं है। परिवादी की उदासीनता से ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादी परिवाद चलाने में अभिरुचि नहीं रखता है। अतएव परिवाद बलहीन होने के आधार पर मेरे मत में खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत परिवाद साक्ष्य के आभाव में अंतर्गत धारा 203 दं०प्र०सं० में खारिज किया जाता है।

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोर्ट संख्या-5 लखीमपुर खीरी।
JO CODE UP-3562

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नं०-5 लखीमपुर-खीरी।

शान्ती देवी बनाम रामजीवन

परिवाद सं-

थाना -कोतवाली सदर जिला खीरी

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गयी कोई भी पक्षकार उपस्थित नहीं। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता अनुपस्थित। कोई स्थगन प्रार्थना पत्र कोई हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से विदित हुआ कि पत्रावली वास्ते बयान धारा 200 सी०आर०पी०सी हेतु दिनांक 04-12-2018 से नियत चली आ रही है। पक्षकारों को पूर्व में कई बार अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवाद पर बल देने हेतु आज भी कोई उपस्थित नहीं है। परिवादनी की उदासीनता से ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादनी परिवाद चलाने में अभिरुचि नहीं रखती है। अतएव परिवाद बलहीन होने के आधार पर मेरे मत में खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत परिवाद साक्ष्य के आभाव में अंतर्गत धारा 203 दं०प्र०सं० में खारिज किया जाता है।

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोर्ट संख्या-5 लखीमपुर खीरी।
JO CODE UP-3562

न्यायालय— अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नं०-5 लखीमपुर-खीरी।

श्रीमती निर्मला देवी बनाम प्रदीप कुमार आदि

परिवाद सं-

थाना -कोतवाली सदर जिला खीरी

पुकार करायी गयी। पत्रावली पेश हुई। कोई उपस्थित नहीं। परिवादिनी अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया अवलोकन से विदित होता है परिवादिनी लगातार दि० 06.08.2016 से अनुपस्थित है तथा पूर्व में अन्तिम अवसर प्रदान किया जा चुका है ऐसा प्रतीत होता है कि परिवाद को चलाने या साक्ष्य प्रस्तुत करने में कोई रुचि नहीं है। परिवादिनी द्वारा तलबी बाबत पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

आदेश

प्रस्तुत परिवाद साक्ष्य के आभाव में अंतर्गत धारा 203 दं०प्र०सं० खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफतर हो।

अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोर्ट संख्या-5 लखीमपुर खीरी।

न्यायालय— अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नं०-5 लखीमपुर-खीरी।

अनुराधा बनाम अनिल कुमार

परिवाद सं-

कम्प्यूटर न- 1815/2019

CNR.No- **UPLP04-021231-2019**

थाना -कोतवाली सदर जिला खीरी

दिनांक 03-04-2021

पुकार करायी गयी। पत्रावली पेश हुई। कोई उपस्थित नहीं।
परिवादी अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया अवलोकन से विदित होता है परिवादिनी
लगातार दि० 19.11.2019 से अनुपस्थित है तथा पूर्व में अन्तिम अवसर प्रदान किया जा चुका
है ऐसा प्रतीत होता है कि परिवाद को चलाने या साक्ष्य प्रस्तुत करने में कोई रुचि नहीं है।
परिवादिनी द्वारा तलबी बाबत पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

आदेश

प्रस्तुत परिवाद साक्ष्य के आभाव में अंतर्गत धारा 203 दं०प्र०सं० खारिज
किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफतर हो।

अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोर्ट संख्या-5 लखीमपुर खीरी।
JO CODEUP-3562

न्यायालय— अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नं०-5 लखीमपुर-खीरी।

शोएब बनाम मासूक अली

परिवाद सं-

कम्प्यूटर न- 2084/2019

CNR.No-**UPLP04-030958-2019**

थाना -कोतवाली सदर जिला खीरी

दिनांक 03-04-2021

पुकार करायी गयी। पत्रावली पेश हुई। कोई उपस्थित नहीं।
परिवादी अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया अवलोकन से विदित होता है परिवादी
लगातार दि० 20.01.2020 से अनुपस्थित है तथा पूर्व में अन्तिम अवसर प्रदान किया जा चुका
है ऐसा प्रतीत होता है कि परिवाद को चलाने या साक्ष्य प्रस्तुत करने में कोई रुचि नहीं है।
परिवादिनी द्वारा तलबी बाबत पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

आदेश

प्रस्तुत परिवाद साक्ष्य के आभाव में अंतर्गत धारा 203 दं०प्र०सं० खारिज
किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफतर हो।

अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोर्ट संख्या-5 लखीमपुर खीरी।
JO CODEUP-3562

न्यायालय- अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नं०-5 लखीमपुर-खीरी।

रन्धीर सिंह बनाम दिनेश

परिवाद सं-

कम्प्यूटर न- 2458/2018

CNR.No-**UPLP04-004912-2018**

थाना -कोतवाली सदर जिला खीरी

दिनांक 03-04-2021

पुकार करायी गयी। पत्रावली पेश हुई। कोई उपस्थित नहीं।
परिवादी अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया अवलोकन से विदित होता है परिवादी
लगातार दि० 23.06.2018 से अनुपस्थित है तथा पूर्व में अन्तिम अवसर प्रदान किया जा चुका
है ऐसा प्रतीत होता है कि परिवाद को चलाने या साक्ष्य प्रस्तुत करने में कोई रुचि नहीं है।
परिवादी द्वारा तलबी बाबत पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

आदेश

प्रस्तुत परिवाद साक्ष्य के आभाव में अंतर्गत धारा 203 द० प्र० सं० खारिज
किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफतर हो।

अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोर्ट संख्या-5 लखीमपुर खीरी।
JO CODEUP-3562

न्यायालय- अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नं०-5 लखीमपुर-खीरी।

अरमान अली बनाम नईम

परिवाद सं-

कम्प्यूटर न- 2259/2018

CNR.No-**UPLP04-002407-2018**

थाना -कोतवाली सदर जिला खीरी

दिनांक 03-04-2021

पुकार करायी गयी। पत्रावली पेश हुई। कोई उपस्थित नहीं।
परिवादी अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया अवलोकन से विदित होता है परिवादी
लगातार दि० 21.08.2018 से अनुपस्थित है तथा पूर्व में अन्तिम अवसर प्रदान किया जा चुका
है ऐसा प्रतीत होता है कि परिवाद को चलाने या साक्ष्य प्रस्तुत करने में कोई रुचि नहीं है।
परिवादी द्वारा तलबी बाबत पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

आदेश

प्रस्तुत परिवाद साक्ष्य के आभाव में अंतर्गत धारा 203 द० प्र० सं० खारिज
किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफतर हो।

अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोर्ट संख्या-5 लखीमपुर खीरी।
JO CODEUP-3562

न्यायालय- अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नं०-5 लखीमपुर-खीरी।

मेवालाल बनाम शत्रोहन

परिवाद सं-

कम्प्यूटर न- 2822/2016

CNR.No-**UPLP04-009701-2016**

थाना -कोतवाली सदर जिला खीरी

दिनांक 03-04-2021

पुकार करायी गयी। पत्रावली पेश हुई। कोई उपस्थित नहीं।
परिवादी अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया अवलोकन से विदित होता है परिवादी
लगातार दि० 11.09.2018 से अनुपस्थित है तथा पूर्व में अन्तिम अवसर प्रदान किया जा चुका
है ऐसा प्रतीत होता है कि परिवाद को चलाने या साक्ष्य प्रस्तुत करने में कोई रुचि नहीं है।
परिवादी द्वारा तलबी बाबत पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

आदेश

प्रस्तुत परिवाद साक्ष्य के आभाव में अंतर्गत धारा 203 दं०प्र०सं० खारिज
किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफतर हो।

अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोर्ट संख्या-5 लखीमपुर खीरी।
JO CODEUP-3562

न्यायालय- अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नं०-5 लखीमपुर-खीरी।

गीता देवी उर्फ छोटी बनाम रहम सिंह

परिवाद सं-

कम्प्यूटर न- 1968/2019

CNR.No- **UPLP04-028603-2019**

थाना -कोतवाली सदर जिला खीरी

दिनांक 03-04-2021

पुकार करायी गयी। पत्रावली पेश हुई। कोई उपस्थित नहीं।
परिवादी अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया अवलोकन से विदित होता है परिवादिनी
लगातार दि० 18.12.2019 से अनुपस्थित है तथा पूर्व में अन्तिम अवसर प्रदान किया जा चुका
है ऐसा प्रतीत होता है कि परिवाद को चलाने या साक्ष्य प्रस्तुत करने में कोई रुचि नहीं है।
परिवादिनी द्वारा तलबी बाबत पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

आदेश

प्रस्तुत परिवाद साक्ष्य के आभाव में अंतर्गत धारा 203 दं०प्र०सं० खारिज
किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफतर हो।

अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोर्ट संख्या-5 लखीमपुर खीरी।
JO CODEUP-3562

न्यायालय- अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नं०-5 लखीमपुर-खीरी।

चांदनी बनाम शिव प्रसाद

परिवाद सं-

कम्प्यूटर न- 1400624/2018

CNR.No- **UPLP04-028603-2019**

थाना -कोतवाली सदर जिला खीरी

दिनांक 03-04-2021

पुकार करायी गयी। पत्रावली पेश हुई। कोई उपस्थित नहीं।
परिवादी अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया अवलोकन से विदित होता है परिवादिनी
लगातार दि० 12.04.2019 से अनुपस्थित है तथा पूर्व में अन्तिम अवसर प्रदान किया जा चुका
है ऐसा प्रतीत होता है कि परिवाद को चलाने या साक्ष्य प्रस्तुत करने में कोई रुचि नहीं है।
परिवादिनी द्वारा तलबी बाबत पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

आदेश

प्रस्तुत परिवाद साक्ष्य के आभाव में अंतर्गत धारा 203 दं०प्र०सं० खारिज
किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफतर हो।

अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोर्ट संख्या-5 लखीमपुर खीरी।
JO CODEUP-3562

न्यायालय- अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नं०-5 लखीमपुर-खीरी।

शिवरानी बनाम गुड्डू

परिवाद सं-

कम्प्यूटर न- 789/2018

CNR.No- **UPLP04-014604-2018**

थाना -कोतवाली सदर जिला खीरी

दिनांक 03-04-2021

पुकार करायी गयी। पत्रावली पेश हुई। कोई उपस्थित नहीं।
परिवादी अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया अवलोकन से विदित होता है परिवादिनी लगातार दि० 16.11.2018 से अनुपस्थित है तथा पूर्व में अन्तिम अवसर प्रदान किया जा चुका है ऐसा प्रतीत होता है कि परिवाद को चलाने या साक्ष्य प्रस्तुत करने में कोई रुचि नहीं है। परिवादिनी द्वारा तलबी बाबत पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

आदेश

प्रस्तुत परिवाद साक्ष्य के आभाव में अंतर्गत धारा 203 दं० प्र० सं० खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफतर हो।

अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोर्ट संख्या-5 लखीमपुर खीरी।
JO CODEUP-3562

न्यायालय- अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नं०-5 लखीमपुर-खीरी।

पूनम देवी बनाम आशीष

परिवाद सं-

कम्प्यूटर न- 3325/2016

CNR.No- **UPLP04-000875-2016**

थाना -कोतवाली सदर जिला खीरी

दिनांक 03-04-2021

पुकार करायी गयी। पत्रावली पेश हुई। कोई उपस्थित नहीं।
परिवादी अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया अवलोकन से विदित होता है परिवादिनी
लगातार दि० 19.11.2016 से अनुपस्थित है तथा पूर्व में अन्तिम अवसर प्रदान किया जा चुका
है ऐसा प्रतीत होता है कि परिवाद को चलाने या साक्ष्य प्रस्तुत करने में कोई रुचि नहीं है।
परिवादिनी द्वारा तलबी बाबत पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

आदेश

प्रस्तुत परिवाद साक्ष्य के आभाव में अंतर्गत धारा 203 दं०प्र०सं० खारिज
किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफतर हो।

अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोर्ट संख्या-5 लखीमपुर खीरी।
JO CODEUP-3562

न्यायालय- अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नं०-5 लखीमपुर-खीरी।

परवीन बानों बनाम मो० सद्दीक

परिवाद सं-

कम्प्यूटर न- 449/2019

CNR.No- **UPLP04-005822-2019**

थाना -कोतवाली सदर जिला खीरी

दिनांक 03-04-2021

पुकार करायी गयी। पत्रावली पेश हुई। कोई उपस्थित नहीं।
परिवादी अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया अवलोकन से विदित होता है परिवादिनी लगातार दि० 08.02.2019 से अनुपस्थित है तथा पूर्व में अन्तिम अवसर प्रदान किया जा चुका है ऐसा प्रतीत होता है कि परिवाद को चलाने या साक्ष्य प्रस्तुत करने में कोई रुचि नहीं है। परिवादिनी द्वारा तलबी बाबत पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

आदेश

प्रस्तुत परिवाद साक्ष्य के आभाव में अंतर्गत धारा 203 दं०प्र०सं० खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफतर हो।

अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोर्ट संख्या-5 लखीमपुर खीरी।
JO CODEUP-3562